राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1398/2009/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड–III, वृत–III, राज. जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
बी–29, बेसमेंट, सिटी सेंटर, संसारचंद्र रोड़, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन. के. बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. डी. शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 20/03/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 107/अपील्स–IV/2008–09/जी में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.06.2009 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता षष्टम, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 11.07.2008 को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.2008 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या MP.09/HF–3008 को चैक किये जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वाहन में शाजापुर (इंदौर) से जयपुर के लिये परिवहनित किये जा रहे माल से सम्बन्धित इन्वॉयस/स्टॉक ट्रांसफर इन्वॉयस, बिल्टी व घोषणा पत्र वैट–47 संख्या 2599019 प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि माल का परिवहन स्टॉक ट्रांसफर के तहत किया जा रहा है तथा घोषणा पत्र वैट–47 का पार्ट–'बी' व 'सी' पूर्णतया रिक्त है। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन होना मानते हुए वाहन को मय माल निरूद्ध किया जाकर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना

लगातार.....2

में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ नया घोषणा प्रपत्र वैट–47 संख्या 2599027 प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया गया कि उनके द्वारा घोषणा प्रपत्र प्रेषक व्यवहारी को भिजवाया गया था, किन्तु ट्रांसपोर्टर द्वारा भूल से उक्त प्रपत्र की पूर्ति करना रह गया, जिसमें उसका कोई करापवंचन का आशय नहीं है। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त जवाब एवं घोषणा प्रपत्र को अस्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 4,24,288/– का आरोपण आदेश दिनांक 11.07.2008 से किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2009 से स्वीकार कर लिये जाने से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वक्त चैकिंग परिवहनित माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट–47 का महत्वूपर्ण पार्ट–'बी' व 'सी' रिक्त छोड़ा जाना स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन की मनोदशा को प्रमाणित करता है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के **मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज** के प्रकरण में पारित किये गये निर्णय दिनांक 3.8.2007 **[(2007) 18 टैक्स अपडेट 321]** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध वैट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपणीय है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के शास्ति आरोपण के विधिसम्मत आदेश को अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माल का परिवहन स्टॉक ट्रांसफर के तहत किया जा रहा था। माल के साथ समस्त दस्तावेज उपलब्ध थे। घोषणा पत्र वैट–47 का पार्ट–बी व सी ट्रांसपोर्टर की भूल से रिक्त रह गया, जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी का कोई करापवंचन का आशय नहीं था। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नया घोषणा पत्र वैट–47 पूर्ण रूप से भरा हुआ भी प्रस्तुत कर दिया गया था, जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी.पी.मेटल्स** में प्रतिपादित सिद्धान्त की पालना हो जाती है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की विस्तृत विवेचना करते हुए सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किया है, जिसमें उनके द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में परिवहनित माल के दस्तावेजों के साथ समस्त दस्तावेज उपलब्ध थे। घोषणा पत्र वैट–47 के कॉलम्स रिक्त पाये जाने के आधार पर शास्ति का आरोपण किया गया था, किन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में नया घोषणा पत्र वैट–47 पूर्ण भरकर प्रस्तुत भी कर दिया गया, जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी.पी.मैटल्स** में प्रतिपादित सिद्धान्तं की पालना हो जाती है। अतः प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी की कोई करापंवचन की मंशा प्रतीत नहीं होती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों को विस्तृत रूप से विचारित करते हुए सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किया गया है, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2009 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष